

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण-पोषण
हेतु
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

कृपया ध्यान दें :-

प्रारूप 1/8 से 5/8	आवेदनकर्ता द्वारा भरा जाना है।
प्रारूप 6/8	स्थलीय भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा भरा जाना है।
प्रारूप 7/8	जिला स्तरीय समिति द्वारा भरा जाना है।
प्रारूप 8/8	गौशाला प्रबन्धक द्वारा भरा जाना है तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है।

गो-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ

संपर्क सूत्र : 0522-2288390, 2288337

ई-मेल : gosevaayogup@gmail.com

वेबसाइट : www.upgosevaayog.upsdc.gov.in

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संधारित गोवश के भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश को-सेवा आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

प्रारूप - 1/8

जगह का नाम :

मण्डल का नाम :

वित्तीय वर्ष :

क्र०सं०	मद	विवरण
1	गोशाला का नाम	
2	गोशाला का स्थाई पता	
3	गोशाला का पत्राचार का पता यदि उपरोक्त से भिन्न है	
4	अध्यक्ष का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र	
5	सचिव/ मंत्री/ प्रबंधक का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र	
6	गोशाला के पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक	
6क	उ०प्र० गोशाला अधिनियम 1964 के अधीन (हाँ/नहीं)	
6ख	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था का नाम व पंजीकरण संख्या	
6ग	भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त (हाँ/नहीं) संस्था का नाम	
6घ	अन्य संस्था के अधीन यथा ट्रस्ट एक्ट (लोकहित में) - संस्था/ट्रस्ट का नाम	
6 क, ख, ग एवं घ में जिससे सम्बंधित हो का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
7	अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क सूत्र, ई-मेल आई०डी० (गोशाला की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के बहुमत से हस्ताक्षरित प्रस्ताव/लेख्य जिसमें आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर सहित नाम का उल्लेख हो तथा आवेदन करने हेतु अधिकृत किया गया हो) (संलग्नक किया जाय)	
8	गोशाला का (1) पैन नम्बर, (2) आधार नम्बर (आवेदक का) (3) बैंक का नाम (4) बैंक ब्रांच (5) खाता संख्या (6) आई एफ एस कोड (7) आयकर अधिनियम की धारा 80G में पंजीयन का प्रमाण पत्र, यदि हो	
8	गोशाला का कुल क्षेत्रफल - एकड़ में	
9	गोशाला की क्षमता- (क्षमता का तात्पर्य यहाँ गोवंश की संख्या से है जिसके लिए शेड की व्यवस्था उपलब्ध हो)	
	बड़े गोवंश की संख्या	
	छोटे गोवंश की संख्या	
10	गोशाला में संधारित गोवंश	
	बड़े गोवंश की संख्या	
	छोटे गोवंश की संख्या	

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संघारित नद्वेषण के कारण पोषण हेतु उत्तर प्रदेश गौ-सौका अर्थोत्पादकों को अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए अर्जित:

प्रारूप - 2/8

गोशाला का नाम:

विकास गाँव:

जनपद:

मण्डल:

क्र०सं०	सद	विवरण				
11	गोवण हेतु शेड					
	संख्या					
	प्रत्येक का आकार (ल० x चौ०) (वर्ग फीट में)	1	2	3	4	5
12	भूरा गोदाम की क्षमता (कुतल में)					
13	चरही					
14	पानी की व्यवस्था					
15	हरे चारे के लिए भूमि की उपलब्धता एकड़ में					
16	विगत वित्तीय तीन वर्षों का आय व्ययक विवरण राज्य सनद प्राप्त फर्म (फर्म ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा सपरीक्षित रिपोर्ट	20__ - __				
		20__ - __				
		20__ - __				
17	गोशाला को वर्तमान वर्ष में भरण-पोषण हेतु प्राप्त अनुदान तथा श्रोत (रूप में)					
	केन्द्र सरकार					
	राज्य सरकार					
	दान					
	चंदा					
	अन्य					
18	गोशाला द्वारा क्रमांक 17 पर भरण-पोषण हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग कर लिया गया है					
19	यदि नहीं तो कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय					

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

प्रदेश से तर्जिकृत गोवंशकारण से संघर्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के अनुदान समर्थता प्राप्त करने के लिए सुविधाएं

प्रारूप - 1/8

गोशाला का नाम:

विकास खण्ड:

जलपट:

मण्डल:

क्र०सं०	वर्ग	प्रजाति (संख्या)						योग
		अवर्णित	साईवाल	दरियावा	गन्नातीर्ण	शरपरकर	सकर/विदेशी	
20	गोवंश का चिकण							
20 (क)	01 वर्ष तक के गोवंश की संख्या (1) 01 वर्ष तक के नर (2) 01 वर्ष तक की मादा							
20 (ख)	3 वर्ष से कम परन्तु 01 वर्ष से अधिक उम्र के गोवंश की संख्या (1) 3 वर्ष से कम उम्र के नर (2) 3 वर्ष से कम उम्र की मादा							
20 (ग)	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के मादा गोवंश की संख्या (1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - दूध में सूखी (2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - सूखी							
20 (घ)	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर गोवंश की संख्या (1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के खोई (2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के बेल							
	योग							
	महायोग (समस्त प्रजाति का योग)							
21	उपरोक्त गोवंश में से पुष्टि/प्रशासन द्वारा तरकारी/वध से बचाए गए गोवंश की संख्या जिले/गोशाला द्वारा सुपुलगी में प्राप्त किया गया (सुपुलगी नामा की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)							

शपथ पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

22. अनुदान सहायता का सूत्र निम्न आधार पर हरा संख्या अनुदान सहायता हेतु गणना की जा सकती है :-
 टा - गौशाला में गोवंश की रखने की संख्या/नक क्षमता का शैतिक विरक्षण के समक पाए गए गोवंश की वास्तविक संख्या में से जो कम हो x 70 प्रतिशत = अनुदान सहायता हेतु गोवंश की संख्या

रु - 70 प्रतिशत के बराबर पशु संख्या x अधिकतम रु 365 x 365 दिन = कुल धनराशि
 नोट : अनुदान सहायता की धनराशि मंडी से प्राप्त धनराशि एवं बजट व्यवस्था पर आधारित होने के कारण मंग की गयी धनराशि से कम धनराशि भी स्वीकृत की जा सकती है।

उदाहरण:-

(1) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 84 गोवंश का उल्लेख किया गया है परन्तु स्थलीय सत्यापन में 70 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $70 \times 70 = 100 = 49$ पशु
 $49 \times \text{रु} 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु} 5,36,550.00$

(2) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 90 गोवंश का उल्लेख किया गया है परन्तु स्थलीय सत्यापन में 92 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $90 \times 70 = 100 = 63$ पशु
 $63 \times \text{रु} 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु} 6,89,850.00$

(3) यदि गौशाला में 100 गोवंश रखने की क्षमता है। गौशाला के प्रस्ताव में 120 गोवंश का उल्लेख किया गया है तथा स्थलीय सत्यापन में 120 गोवंश पाए गए तो गणना निम्नवत होगी
 $100 \times 70 = 100 = 70$ पशु
 $70 \times \text{रु} 30.00 \times 365 \text{ दिन} = \text{रु} 7,66,500.00$

23. गौशाला द्वारा उपरोक्त अनुदान सहायता सूत्र के आधार पर गणना

क -

ख -

24. भरण-पोषण हेतु मांग की गयी कुल धनराशि अंकों में रु०..... शब्दों में रु०.....

हस्ताक्षर
 आवेदनकर्ता / नाम/ पदनाम/ मुहर

रु. 100/- (सहस्र एक सौ मात्र) के इतना प्रेपर पर लोट्टरी शिम्पल पत्र (A/lottery / Bond) प्रारूप

में विकास खाण्ड जनापद उक्त वर्ष माह निवासी ग्राम तहसील जनापद शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ, कि

1. मेरी गौशाला का नाम एवं पंजीयन संख्या है।

2. मेरी गौशाला ग्राम विकास खण्ड तहसील जनापद स्थापित एवं क्रियाशील है।

3. मैं इस गौशाला का संचालन अध्यक्ष / सचिव / मंत्री / प्रबंधक के रूप में विगत वर्षों से कर रहा/ रही हूँ।

4. प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को मेरी गौशाला में बड़े छोटे कुल गोंवंश संघारित है।

5. मुझे यह भली-भांति ज्ञात है कि गौशाला का औक्त निरीक्षण एवं फोटोग्राफी / वीडिओग्राफी जनपद स्तर / प्रदेश स्तर से कराई जा सकती है जिसमें मेरे द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा प्रपत्र में अंकित कुल गोंवंश की संख्या व गौशाला प्रबंधन में कमी पाए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा एवं गौशाला प्रबंधन समिति का होगा एवं गौशाला पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु गौशाला प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।

6. जिला प्रशासन द्वारा वध व तस्करी से बचाए गए गोंवंश को सुपुर्दगी में लेने से गौशाला इंकार नहीं करेगी।

7. गौशाला पशुओं की चिकित्सा की उचित व्यवस्था एवं मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी।

8. गौशाला द्वारागत वित्तीय वर्ष _____ में किए गए आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं०	आय के स्रोत	धनराशि	व्यय का विवरण	धनराशि
1	उपग्रामों से अनुदान		घारा-पशु आहार	
2	अन्य सरकारी अनुदान सहायता		गोपालक एवं अन्य के वेतन / मानदेय / मजदूरी	
3	दान / चंदा		विजली पानी विल	
4	गौशाला उत्पादों के विक्रय से आय (दूध एवं दूध से बने उत्पाद, पंचगव्य आधारीत उत्पाद, धूपबत्ती, अगरबत्ती बर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट अदि)		पशु चिकित्सा	
5	अन्य व्यावसायिक गतिविधि से आय		निर्माण / मरम्मत	
6	किराया, अर्जित धनराशि पर व्याज एवं अचल संपत्ति से आय		अन्य व्यय	
7	अन्य आय		अवशेष राशि	
		योग		योग

9. मैं समय-समय पर गौशाला से सम्बन्धित निर्गत शासनादेशों / दिशानिर्देशों में निर्हित व्यवस्था का पूर्णतः पालन करूँगा।

शपथी पुरुषपत्नी..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं वर्षों से 5% एवं 8/8 पर दिया गया विवरण सत्य है।

शपथी

स्थलीय भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित समिति की आख्या :
(शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार)

1. निरीक्षण का दिनांक
2. गोशाला का पूरा नाम, पता एवं पंजीयन संख्या
3. गोशाला में संघारित गोवंश का सत्यापन

क्र०सं०	मद	प्रजाति (संख्या)						योग	
		गोवंश का वितरण	अवर्णित	साक्षीपाल	हरियाना	गन्गातीरी	धारणारकर		सकल/विदेशी
3 क	गोवंश का वितरण								
	01 वर्ष तक के गोवंश की संख्या								
	(1) 01 वर्ष तक के नर								
	(2) 01 वर्ष तक की मादा								
3 ख	3 वर्ष से कम परन्तु 01 वर्ष से अधिक उम्र के गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष से कम उम्र के नर								
	(2) 3 वर्ष से कम उम्र की मादा								
3 ग	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के मादा गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - दूध								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र - सूखी								
3 घ	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर गोवंश की संख्या								
	(1) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के								
	(2) 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक उम्र के बेल								
	योग								
3 ङ	महयोग (समस्त प्रजाति का योग)								
	उपरोक्त गोवंश में से मुलेस/प्रशासन द्वारा तस्करी/वध से बचाए गए गोवंश की संख्या जिन्हें गोशाला द्वारा सुपुर्तगी में प्राप्त किया गया (सुपुर्तगी नामा की प्रति के आधार पर)								

4. प्रारूप १/५, २/५, ३/५, ४/५ एवं ५/५ तथा शपथ पत्र में आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी सूचना पर गोशाला अभिलेख / ऑडिटेड लेखों के आधार पर टिप्पणी.....

5. (क) आवेदक का आधार संख्या.....

(ख) गोशाला का पैन संख्या.....

(ग) गोशाला का खाता संख्या.....

(घ) गोशाला के खाते का आईएफएससी कोड.....

उक्त चारों सूचनाओं का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किया जाता है।

6. अन्य कोई सूचना जो निरीक्षण/ सत्यापन के समय प्रकाश में आया हो.....

7-गोशाला की गोवंश धारण क्षमता.....

8- गौशाला में संधारित पशुओं के भरण-पोषण अनुदान सहायता के सख्त्थ मे संस्तुति : समिति गोशाला में संधारित गोवंश के सापेक्ष उपरोक्त शासनदेश दिनांक 15.12.2017 में निर्धारित मानकों एवं दरों पर धनराशि रु० (शब्दों में) रूपयेअनुदान दिय जाने कि संस्तुति करती है।

खण्ड विकास अधिकारी

नाम-

पदनाम मुहर-

उप जिलाधिकारी

नाम-

पदनाम मुहर-

उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

नाम-

पदनाम मुहर-

जनपद स्तरीय समिति की आख्या

(शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार)
 (दिनांक 15.02.20__ से 28.02.20__ तक मुख्य विकास अधिकारी कि अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा स्थलीय/ भौतिक निरीक्षण / सत्यापन हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गौशालाओं के अधिकारियों के परिक्षण के उपरांत डी०पी०आर० एवं अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन पत्र को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाना)

स्थलीय/ भौतिक निरीक्षण/ सत्यापन हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गौशालाओं के अधिकारियों के परिक्षण के उपरांत समिति गौशाला में संघारित गौंश के सापेक्ष उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2017 में निधारित मानकों एवं दरों पर धनराशि रु०.....(शब्दों में) रूपसे अनुदान दिए जाने कि संस्तुति करनी है।

क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी
 अधिकारी का नाम
 मुहर

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी
 अधिकारी का नाम
 मुहर

जिलाधिकारी के प्रतिनिधि
 अधिकारी का नाम
 मुहर

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
 अधिकारी का नाम
 मुहर

मुख्य विकास अधिकारी
 अधिकारी का नाम
 मुहर

उपयोगिता प्रमाण पत्र

गौशाला का नाम एवं पता :

पंजीयन संख्या एवं दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के पत्र संख्या द्वारा गतवर्ष हेतु
.....दिनांक(शब्दों) में

स्वीकृत अनुदान राशि रुपये(शब्दों) में
के मापेक्ष धनराशि रुपये(शब्दों) में

का शासनादेश संख्या 2557/37-2-2017-5 (16)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में निहित दिशा-निर्देशों के

अनुसार उपयोग कर लिया गया है।

उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित अभिलेख गौशाला कार्यालय में संधारित एवं सुरक्षित हैं जिन्हें निरीक्षण / सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा सुलभ सन्दर्भ हेतु धनराशि के व्यय से सम्बंधित राज्य सन्दर्भ प्राप्त फर्म (फर्म ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित समस्त बिल / बाउचर, बैलेंसशीट सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

शेष राशि रुपये(शब्दों) में)
..... दिनांक वापस किए जाने हेतु संलग्न
चालान/ डिमांड ड्राफ्ट संख्या दिनांक वापस किए जाने हेतु संलग्न
है।

गौशाला अध्यक्ष / सचिव
नाम / पदनाम / मुहर सहित
संपर्क सूत्र

गौशाला कोषाध्यक्ष / प्रबन्धक
नाम / पदनाम / मुहर सहित
संपर्क सूत्र

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

अधिकारी का नाम
मुहर

मुख्य विकास अधिकारी
अधिकारी का नाम
मुहर